न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 24/16 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00364

उनवान

1. राधाकिशन } पुत्र सेडू
2. ध्रुव सिंह }
3. बत्तो पुत्र टीका
4. रामबाबू पुत्र बिजेन्द्र
5. लल्लू उर्फ उदय सिंह पुत्र बिजेन्द्र
6. रामवती विधवा बिजेन्द्र
7. दिनेश उर्फ दीनदयाल } पुत्र बिजेन्द्र
8. राकेश }

जाति गडरिया निवासी ग्राम मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रजनीकान्त
2. कृष्णगोपाल
3. रामनिवास
4. निरंजनलाल

पुत्रान अमर सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नदबई दिनांक 03.03.2016 उनवानी रजनीकान्त बनाम राधाकिशन मु0न0 26/12

अनिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 गिरीश चतुर्वेदी उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 13.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के आदेश दिनांक 03.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् रिसीवरी व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म होने के बाबजूद भी अप्रार्थीगण आराजी मुतदाविया में मदाखलत मजाहमत करते रहते हैं व काश्त करने से रोकते हैं तथा आराजी मुतदाविया को नष्ट करने व फसल को बर्बाद करने तथा रहन वय मुन्तकिल करने को आमदा हैं तथा इस प्रकार की धमकी भी देते हैं। अतः आराजी इन मीडियों की परिभाषा में आ चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी वाके ग्राम मांझी पर तहसीलदार नदबई को रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से तहसीलदार नदबई को विवादित आराजी का रिसीवर नियुक्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी के अपीलार्थी खातेदार काश्तकार काबिज हैं जिनमें अपीलार्थी संख्या 01 से 07 के पूर्वज, सेडू व टीका को आराजी में शिकमी कृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19(1) एवं 19(1) एए के अनुसार खातेदारी अधिकार मिले हैं। जिन्हें अपीलार्थी ने उनके निधनोपरान्त उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। रैस्पो0 ने जो विवादित आराजी के संबंध में अपने स्वत्व व काश्तकारी अधिकारो का उदनाम होना बताया है व अत्यन्त दूर का है। इसके अतिरिक्त कुछ भूमि उनके पूर्वजो ने ही अपीलार्थी संख्या 01 से 07 को विक्रय की है जो रैस्पो0 के पिता अमर सिंह से दिनांक 19.06.1967 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र ली है। इस प्रकार विवादित आराजी से रैस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नहीं रह जाता है। विवादित आराजी बाबत् एक लम्बे समय से राजस्व अभिलेख में खातेदार के इन्द्राज व कब्जा काश्त अपीलार्थी का चला आ रहा है जबकि रैस्पो0 के हक मे कभी कोई इन्द्राज खातेदारी के नहीं है एवं ना ही उन्हें कोई खातेदारी अधिकार विवादित आराजी के किसी भाग पर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण के लिये राजस्व अभिलेख की वर्तमान प्रविष्टियों को ही देखा जाता है जो आज की दिनांक में दोनों ही तथ्य अपीलार्थी के हक में प्रमाणित होती हैं। इसके अलावा पूर्व में जारी स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 13.02.2013 से स्थगन आदेश के प्रभाव को स्थगित किया गया है और आज भी अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विचाराधीन है। उक्त आदेश में रैस्पो0 के हक में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं माना गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी वहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रैस्पो0 विवादित आराजी पर संवत 2012 से पूर्व गैर मौरूसी दर्ज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व राजस्थान विश्वेदारी उन्मूलन 1969 की धारा 30 के प्रावधानो के तहत रैस्पो0 को खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश के कन्फर्म होने के बाद भी अपीलाण्ट विवादित आराजी पर मदाखलत मजाहमत करते हैं। इस प्रकार विवादित आराजी इनमिडियो हो गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर अपने पूर्वज, सेडू व टीका को बतौर शिकमी कृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19(1) एवं 19(1) एए के अनुसार खातेदारी अधिकार मिलना बताते हैं एवं रैस्पो0 विवादित आराजी पर संवत 2012 से पूर्व स्वयं के गैर मौरूसी के अंकन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व राजस्थान विश्वेदारी उन्मूलन 1969 की धारा 30 के प्रावधानो के तहत खातेदारी अधिकार बताते हैं। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल दावे में तय होना अभी शेष है। फिलहाल दोनों ही पक्ष विवादित आराजी पर अपना–अपना स्वत्व बता रहें हैं व फसल आदि को लेकर भी झगडा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा विवादित आराजी वर्तमान परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से इन मीडियो हो गयी है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से ही विवादित आराजी पर तहसील नदवई को रिसीवर नियुक्त किया है। इस प्रकार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई का आदेश दिनांक 03.03.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/09/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर